कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक :363/14–1 रामपुर, दिनांक 09 अगस्त 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ0प्र0,
मुरादाबाद।

विषय :– जनपद रामपुर में ग्राम पिपलिया मिश्र से तीन पानी मुण्डिया कला–कमुआ–केमरी (ग्रामीण मार्ग) किमी0 चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य दांयी पटरी पर पैट्रोल/डीजल पम्प (इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.077588 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ – **Online Submission File No. FP/UP/Others/27070/2017 dated 17-07-2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद रामपुर में ग्राम पिपलिया मिश्र से तीन पानी मुण्डिया कला–कमुआ–केमरी (ग्रामीण मार्ग) किमी0 चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य दांयी पटरी पर पैट्रोल/डीजल पम्प (इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.077588 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु बिना वृक्ष पातन की अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा – 2 के अन्तर्गत 0.077588 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु बिना वृक्ष पातन की अनुमति के भूमि हस्तांरण प्रस्ताव 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहें है। इस परियोजना से इस वन प्रभांग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सेल्स ऑफीसर (रिटेल) रामपुर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिलासपुर।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।